


100



माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग उज्जैन

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण

दिनांक - 437-III-16

बी.बी. शर्मा
अभि. डा. उज्जैन
पा. 5/1/16
19/1/16

- 1- जैनेन्द्र कुमार पिता दीपचंद मेहता निवासी मणीवीला चौसठ यौगिनी मार्ग नयापुरा उज्जैन
- 2- लालचंद पिता दीपचंद मेहता निवासी जैन कॉलोनी गौतम मार्ग नयापुरा उज्जैन
- 3- शैलेन्द्र कुमार पिता दीपचंद मेहता निवासी प्रथम मंजिल कुशल एवेन्यु मनीपुरी साकेत के पास इंदौर --- प्रार्थीगण
विराट

- 1- अभयकुमार पिता दीपचंदजी मेहता आयु 65 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी 129, चौसठ यौगिनी मार्ग नयापुरा उज्जैन
- 2- श्रीमती पदमाबाई पति हंसराजजी पीपाडा सी/ओ संजय कुमार हंसराजजी पीपाडा निवासी ए-1 फ्लॉट नंबर 14 वृन्दावन अपार्टमेंट करोडगंज गली सिविल लाईन्स भागपुर महाराष्ट्र
- 3- श्रीमती इंदिरा पति एसकुमार जैन निवासी ई-56 अनुराग नगर प्रेस कॉम्प्लेक्स के पीछे इन्दौर
- 4- श्रीमती मंजु पति अरविन्द शाह निवासी हेरी गार्मेन्ट्स मेनराड वारान्दा जिला नोसारी गुजरात ---प्रतिप्रार्थीगण

B.L. Beekliya
Advocate
19/1/16

रिवीजन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय घट्टिया तहसील घट्टिया जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 23-12-2015 को प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2014-2015 में पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष अंदर अवधि में प्रस्तुत है:-

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नांकित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है:-

19/1/16

निरंतर.....2



13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-437-तीन/16

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.बकलिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> 	 प्रशासकीय सदस्य